संख्या- 171/2020/4292 /71-1-2020-जी-133/2018

प्रेषक,

शुभ्रा सक्सेना,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 23 दिसम्बर, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2020/1772, दिनॉक 07-12-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा में उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-"मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में शासनादेश दिनॉक 14.08.2020 द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 34.00 लाख एवं शासनादेश दिनॉक 05.10.2020 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 50.00 लाख कुल रू0 84.00 लाख में से रू0 83,97,500/- (रू0 तिरासी लाख सत्तानबे हजार पॉच सौ मात्र) के सापेक्ष संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों के क्रय हेतु निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- विद्यमान वित्तीय नियमों व प्राविधानों का पालन करतेहुए तथा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही उपकरणों का क्रय किया जाये।

2- उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन, क्रय प्रक्रिया एवं आडिट आदि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।

3- उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

4- उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

10- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030) /2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0) /2017, दिनॉक 15.01.2018 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष (रू0 1.00 लाख तक) तथा विभागाध्यक्ष द्वारा (रू0 50.00 लाख) क्रयाधिकार संबंधी निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही क्रय प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रयादेश निर्गत किये जायेंगे।

13- शासनादेश दिनॉक 28.08.2020 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-21-मेडिकल कालेज, बॉदा-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संजग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(शुभ्रा सक्सेना)
विशेष सचिव

संख्या:- 171/2020/4292 (1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बॉदा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बॉदा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बॉदा।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- संख्या-171/2020 /4292 /71-1-2020-जी-133/2018,
दिनॉक् 23 दिसम्बर, 2020 का संलग्नक

मेडिकल कालेज, बॉदा

S.No.	Department's Name	Name of Equipment/ Instrument	Req. Qty in Current Year	Approx. rate per unit inclusion of taxes and 5 year warranty	Total cost
1	Covid ICU/ Emergency	Online UPS system	3	150000	450000
2	Hostel	Hostel Bed	120	5000	600000
3	Hostel	Hostel Chair	118	2500	295000
4	Hostel	Hostel Table	115	3500	402500
4	Microbiology/Covid BSL-2 Lab	Real Time PCR Machine with UPS and Laptop	1	1200000	1200000
5	Covid ICU	DVT Pump (Deep vein Thrombosis Pump)	10	20000	200000
6	ICU	ICU Beds	35	150000	5250000
				Total Amount	**8397500**

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।